वाराणसी विकास प्राधिकरण वाराणसी

राजा उदय प्रताप मार्ग पन्ना लाल पार्क वाराणसी-221002

Ph: 0542-2283305/06, Fax: 0542-2283307, E-mail: vdavaranasi@gmail.com, Website:www.vdavns.com

वाराणसी विकास प्राधिकरण से सम्बन्धित दिनांक 16.10.2025 को वाराणसी शहर में प्रकाशित न्यूज पेपर" अमर उजाला, दैनिक जागरण, हिन्दुस्तान, तरुणमित्र न्यूज़, न्यायाधीश,"समाचार पत्र कटिंग का विवरण।

अमर उजाला–दि0 16.10.2025

215 गांवों का 2 महीने तक होगा ड्रोन सर्वे

वाराणसी। वीडीए की ओर से मास्टर प्लान के विस्तार के लिए वाराणसी और चंदौली का ड्रोन सर्वेक्षण और मैपिंग कार्य कराया जा रहा है।

वीडीए उपाध्यक्ष पुलकित गर्ग के अनुसार ड्रोन सर्वेक्षण का यह कार्य आगामी दो महीने तक होगा। वाराणसी के तहसील राजातालाब, पिंडरा और चंदौली के सकलडीहा के 215 गांवों का ड्रोन से सर्वे कराया जाएगा। इसका कुल क्षेत्रफल 288 वर्ग किलोमीटर है।

इस कार्य का उद्देश्य क्षेत्र के सटीक भू-आकृतिक आंकड़ों का संकलन करना है। इससे भविष्य की योजना निर्माण, भूमि उपयोग निर्धारण एवं शहरी विकास की दिशा में एक सुव्यवस्थित आधार तैयार किया जा सके। इस कार्य को वीडीए की ओर से चयनित कार्यदायी संस्थाओं साई कंसल्टेंसी एवं फर्स्ट विंग के माध्यम से संपादित कराया जा रहा है। अधिकारियों ने बताया कि जल्द ही सर्वे का काम पूरा करा लिया जाएगा। ब्यूरो

अमर उजाला–दि0 16.10.2025

200 मीटर दायरे में निर्माण पर तय होगी जिम्मेदारी

वाराणसी। वीडीए सचिव डॉ. वेद प्रकाश मिश्रा ने बुधवार को वीडीए सभागार में बैठक की। उन्होंने निर्देश दिया कि गंगा नदी से 200 मीटर दायरे में निर्माण की अनुमति देने के बाद यह सुनिश्चित किया जाए कि स्थल पर स्वीकृत निर्माण के सापेक्ष कार्य कराया जा रहा है या नहीं। अनुमति से इतर निर्माण कार्य पाए जाने पर संबंधित जोनल अधिकारी का दायित्व सुनिश्चित किया जाएगा। गंगा नदी से 200 मीटर के तहत दी गई निर्माण अनुमतियों की एक प्रति प्रत्येक जोन से सचिव कार्यालय में प्रेषित की जाए। एक वर्ष का डेटा रजिस्टर में सुरक्षित रखा जाए। ब्यूरो

अमर उजाला–दि0 16.10.2025

पार्किंग के लिए बेसमेंट कराएं खाली

वाराणसी। वीडीए के अपर सचिव डॉ. गुडाकेश शर्मा ने बुधवार को वीडीए सभागार में लंबित मानचित्रों की समीक्षा की। सील प्रकरणों की जांच कर बेसमेंट खाली कर पार्किंग व्यवस्था सुनिश्चित कराने के निर्देश दिए। 1 सप्ताह में जनशिकायतों का निस्तारण प्राथमिकता पर करें। शहर में हो रहे अनियोजित विकास और अवैध प्लॉटिंग का चिह्नांकन कर ध्वस्त कराएं। जोन-1 के वार्ड शिवपुर, सिकरौल में शमन शुल्क के मद में धनराशि 1,73,16,092 जमा कराया गया। 2025-26 में अप्रैल से अब तक शमन धनराशि 5,83,96,915 जमा कराया। स्वीकृत शमन पत्रावली के सापेक्ष बकाया शमन शुल्क जमा न करने वाले निर्माणकर्ताओं के खिलाफ प्रभावी कार्रवाई करने का निर्देश जोनल अधिकारी को दिया। ब्यूरो

दैनिक जागरण–दि0 16.10.2025

किराया नहीं देने वाले दुकानदारों को जल्द बाहर निकालेगा वीडीए

जागरण संवाददाता, वाराणसी : विकास प्राधिकरण की दुकानों के कुछ किरायेदार लंबे समय से किराया नहीं जमा कर रहे हैं। कुछ ने दुकानें बंद कर दी हैं। कुछ में सिकमी किरायेदार हैं। ऐसे सभी दुकानों की वीडीए सूची तैयार कर उन्हें खाली कराएगा। उनका पुनः अधिग्रहण कर नीलामी की प्रक्रिया की जाएगी।

प्राधिकरण के सचिव डा. वेद प्रकाश मिश्रा ने इस आशय का आदेश संपत्ति विभाग को दिया। वह बुधवार को संपत्ति अनुभाग की समीक्षा बैठक कर रहे थे। उन्होंने कहा कि जिन आवंटियों द्वारा पूर्ण धनराशि जमा कर दी गई है, उनकी रजिस्ट्री की प्रक्रिया तत्काल प्रभाव से पूर्ण कराई जाए। जिन आवंटियों ने अभी तक धनराशि जमा नहीं की है, उन्हें नोटिस जारी करते हुए शीघ्र भुगतान सुनिश्चित कराया जाए। लोगों को किस्त समयबद्ध से देने के लिए नोटिस दिया जाय।

इसके बावजूद कोई न जमा करे तो उसका आवंटन निरस्त किया जाएगा। बैठक में संपत्ति अधिकारी आनंद प्रकाश तिवारी, पटल सहायक सहित अन्य संबंधित अधिकारी उपस्थित रहे।

हिन्दुस्तान–दि0 16.10.2025

वीडीए सचिव ने दिए कई अहम निर्देश

वाराणसी। गंगा तट से 200 मीटर के दायरे में निर्माण की अनुमति के बाद जोनल अधिकारियों को एक फाइल सचिव कार्यालय में भेजनी होगी। इसका डाटा एक साल तक सुरक्षित रखना होगा। बुधवार को वीडीए मुख्यालय में वीडीए सचिव डॉ. वेदप्रकाश मिश्रा ने बैठक में जोनल अधिकारियों को यह निर्देश दिया। उन्होंने कहा कि गंगा तट से 200 मीटर में निर्माण की अनुमति देने के बाद यह सुनिश्चित किया स्वीकृति अनुसार कार्य हो रहा है।

तरूणमित्र न्यूज–दि0 16.10.2025

जिन दुकानों का किराया जमा नहीं हो रहा उनका अधिग्रहण कर, करें उन्हें नीलाम : डा. वेदप्रकाश मिश्रा

वीडीए सचिव डा. वेद प्रकाश मिश्रा अधीनस्थों संग समीक्षा बैठक करते हुए

तरुणमित्र न्यूज

वाराणसी। वाराणसी विकास प्राधिकरण के सचिव डा. वेद प्रकाश मिश्रा की अध्यक्षता में संपत्ति अनुभाग की समीक्षा बैठक बुधवार को संपन्न हुई।इस दौरान सचिव द्वारा विभिन्न योजनाओं एवं संपत्ति संबंधी विषयों पर कई महत्वपूर्ण निर्देश दिए गए। जिन आवंटियों द्वारा पूर्ण धनराशि जमा कर दी गई है, उनकी रजिस्ट्री की प्रक्रिया तत्काल प्रभाव से पूर्ण कराई जाए तथा जिन आवंटियों द्वारा अभी तक धनराशि जमा नहीं की गई है, उन्हें नोटिस जारी करते हुए शीघ्र भुगतान सुनिश्चित कराया जाए।

वीडीए सचिव डा. वेद प्रकाश मिश्रा ने निर्देश दिया है की जिन आवंटियों की किस्त/धनराशि जमा करने की तिथि निकट है, उन्हें पूर्व सूचना देते हुए नोटिस जारी किया जाए, ताकि वे समयबद्ध रूप से भुगतान कर सकें। जो किरायेदार लंबे समय से किराया नहीं जमा कर रहे हैं, जिनकी दुकानें बंद हैं अथवा जो सिकमी किरायेदार हैं, ऐसे मामलों में संबंधित दुकानों को खाली कराकर प्राधिकरण द्वारा उनका पुन: अधिग्रहण किया जाए एवं नीलामी की प्रक्रिया प्रारंभ की जाए।जिन आवंटियों द्वारा निर्धारित किस्तों का भुगतान नहीं किया गया है, उन्हें शीघ्र नोटिस जारी करते हुए भुगतान के लिए सूचित किया जाए। अन्यथा स्थिति में उनके आवंटन को निरस्त कर दिया जाएगा। बैठक में संपत्ति अधिकारी आनंद प्रकाश तिवारी,एवं पटल सहायक सहित अन्य संबंधित अधिकारी उपस्थित रहे।

न्यायाधीश–दि0 16.10.2025

वाविप्रा द्वारा 'ड्रोन सर्वेक्षण एवं मैपिंग कार्य' जारी

वाराणसी ।वाराणसी विकास प्राधिकरण द्वारा मास्टर प्लान के विस्तार के अंतर्गत जनपद वाराणसी के 'तहसील राजातालाब, पिण्डरा,सकलडीहा, पण्डित दीनदयाल उपाध्याय नगर एवं चुनार' की कुल '215 ग्रामों' ;कुल क्षेत्रफल लगभग '288 वर्ग किलोमीटर' का 'ड्रोन सर्वेक्षण एवं मैपिंग कार्य' कराया जा रहा है।इस कार्य का उद्देश्य क्षेत्र के 'सटीक भू.आकृतिक आंकड़ों ;बबनतंजम हमव.चंजपंस कंजंद्ध' का संकलन करना हैए जिससे 'भविष्य की योजना निर्माणए भूमि उपयोग निर्धारण एवं शहरी विकास की दिशा में एक सुव्यवस्थित आधार' तैयार किया जा सके।उक्त कार्य को प्राधिकरण द्वारा चयनित कार्यदायी संस्थाओं 'साई कंसल्टेंसी' एवं 'फर्स्ट विंग' के माध्यम से संपादित कराया जा रहा है।'ड्रोन सर्वेक्षण का यह कार्य आगामी 02 माह की अवधि तक संचालित किया जाएगा।'

न्यायाधीश–दि0 16.10.2025

वाविप्रा सचिव की अध्यक्षता में समीक्षा बैठक आयोजित

वाराणसी ।वाराणसी विकास प्राधिकरण के सचिव डॉ. वेद प्रकाश मिश्रा की अध्यक्षता में आज आई0जी0आर0एस0 / जन सूचना / गंगा नदी से 200 मीटर के अंतर्गत निर्माण की अनुमति से संबंधित विषयों पर समीक्षा बैठक आयोजित की गई। सचिव द्वारा बैठक में निम्न निर्देश दिए गए आई0जी0आर0एस0 के सन्दर्भित प्रकरणों में आख्या प्रेषित करने से पूर्व जोनल अधिकारी अपने स्तर से जॉच कर सुस्पष्ट एवं गुणवत्तापूर्ण आख्या अनिवार्य रूप से प्रेषित करें। आई0जी0आर0एस0 के लंबित शिकायतों का नियत अवधि से 07 दिन पर्व निस्तारण कराना सनिश्चित पूर्ण कर लिया जाए। गंगा नदी से 200 मीटर के अंतर्गत निर्माण की अनुमति देने के उपरांत यह सुनिश्चित किया जाए कि स्थल पर स्वीकृत निर्माण के सापेक्ष कार्य कराया जा रहा है अथवा नहीं, अनुमति से इतर निर्माण कार्य पाए जाने पर संबंधित जोनल अधिकारी का दायित्व सुनिश्चित् किया जायेगा। गंगा नदी से 200 मीटर के अंतर्गत दी गई निर्माण अनुमतियों की एक प्रति प्रत्येक जोन से सचिव कार्यालय में प्रेषित की जाए तथा एक वर्ष का डाटा रजिस्टर में सुरक्षित रखा जाए।बैठक में प्रभारी अधिकारी (आई0जी0आर0एस0/जन सूचना) [illegible] वर्तिका दुबे एवं विनोद कुमार, जोन-3 रविन्द्र प्रकाश, जोन-4 आदर्श कुमार निराला एवं सोनू कुमार, जोन-5 राजू कुमार तथा संबंधित लिपिकगण उपस्थित रहे।